



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

अधिसूचना

दिनांक-.....

संख्या-बी०एस०यू०(निर्देश)-25/2016-...../रा०स०(1)- माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक् विचरोपरान्त बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू करने के उपरान्त उसी पर आधारित तथा उसी प्रकार विश्वविद्यालय में भी जन शिकायत के सुनवाई के लिए रूपरेखा का एक प्रारूप तैयार करने हेतु निम्नलिखित कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की समिति गठित करने की कृपा की गयी है:-

- 1) कुलपति, - अध्यक्ष
पटना विश्वविद्यालय, पटना
- 2) कुलपति, - सदस्य
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
- 3) प्रतिकुलपति, - सदस्य
नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना
- 4) प्रतिकुलपति, - सदस्य
पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना
- 5) प्रतिकुलपति, - सदस्य
पटना विश्वविद्यालय, पटना
- 6) विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) - सदस्य सचिव
राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

उपर्युक्त समिति अपना मंतव्य अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर समर्पित करेगी।
माननीय कुलाधिपति के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- बी०एस०यू०(निर्देश)-25/2016-2227...../रा०स०(1)

दिनांक- 29-08-2018

प्रतिलिपि:-कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना / कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक), राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / गार्ड फाईल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्री विजय कुमार, निदेशक तकनीकी, एन.आई.सी., राजभवन, कम्प्युटर कोषांग को सूचनार्थ एवं राजभवन के वेबसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव